U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk0 jktsa'k 'kekZ] vkbZ-,-,l-
lquokbZ dk vf/kdkj iFke vihy la[;k 05@2020

vihykUV	बनाम	**jsLikMUVl**
जुगराज पुत्र हकमाराम, निवासी–बिठूडा, तहसील आहोर।		लोक सुनवाई अधिकारी एवं अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर, संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 के तहत प्रथम अपील

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट बावजूद सूचना/तामीली के अनुपस्थित है।
2. लोक सुनवाई अधिकारी, कार्यालय हाजा उपस्थित है।

fu.kZ;

fnukad tuojh]2021

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में कार्यालय हाजा के लोक सुनवाई अधिकारी के द्वारा उनकी ओर से पूर्व में दिनांक 29.09.2020 को प्रेषित किये गये परिवाद का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं करने पर यह प्रथम अपील दिनांक 25.11.2020 प्राप्ति दिनांक 8.12.2020 को प्रेषित की गई है।
2. उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं लोक सुनवाई अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय हाजा से इस सम्बन्ध में उनकी अपील पर टिप्पणी एवं मूल पत्रावली तलब की गई तथा अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु दिनांक 28.12.2020 को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 28.12.2020 को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18.01.2021 की सुनवाई दिनांक का पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस जारी किया गया, इस पर वे आज दिनांक को कार्यालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है।
3. अपीलान्ट की अपील को अवलोकन किया जिसमें अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया है कि कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के पत्रांक एफ/सामान्य/जवाई बॉध/19/1051 दिनांक 27.11.2019, 563 दिनांक 8.10.2019 एवं 80 दिनांक 9.10.2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट संख्या 13991/2016 आदेश दिनांक 30.10.2019 की पालना में सिंचाई पानी देने

के स्थान पर माननीय न्यायालय की अवमानना की जा रही है, निर्णय के अनुसार पीडित किसान समूह को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है जिसको लेकर न्यायालय की अवमानना कार्यवाही सिंचाई राहत को लेकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है।

4. अपील में यह भी अंकित किया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत पाली को अधीशाषी अभियन्ता, जवाई नगर खण्ड सुमेरपुर के पत्रांक 4767 दिनांक 8.10.2007 मोगों को मौके पर जॉच कर बदलाव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे जिसके साथ में तकनीकी डिजाइन प्रेषित कर तखतगढ माईनर टेल एल के स्लीट–1 फीट के स्थान पर संशोधित साइज 8 इंच पाईप व हेड 1.20 फीट की स्वीकृति की गई थी जिसके अनुरूप अधीशाषी अभियन्ता के पत्रांक 4990 दिनांक 15.10.2007 को क्रियान्वयन किया गया था जिस पर विभाग द्वारा हमारा आउटलेट किसी तकनीकी स्वीकृति व सक्षम आदेश के बिना बन्द कर दिया था जिसके कारण किसानों का रकबा सिंचाई में तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त भी सिंचाई से वंचित करने पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त एसबी सिविल रिट पेश की गई जिसमें पाईप साईज 8 इंच हेड 1.20 फिट से पानी देने का आर्डर पारित किया गया था लेकिन माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए वर्ष 2019–20 व 2020–21 में सिंचाई पानी नहीं देने से पीडित किसानों का रकबा सिंचाई से वंचित करते आ रहे है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की पालना सुनिश्चित करावें।

5. अपीलान्ट की उक्त अपील पर लोक सुनवाई अधिकारी, कार्यालय हाजा से प्राप्त मूल पत्रावली एवं टिप्पणी दिनांक 22.12.2020 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार लोक सुनवाई अधिकारी ने अपीलान्ट/परिवादी के प्रार्थना पत्र संख्या 04/2020 को दर्ज किया जाकर सम्बन्धित सामान्य शाखा से टिप्पणी ली जाना एवं उक्त प्राप्त टिप्पणी अनुसार सम्भागीय आयुक्त (अध्यक्ष, जल वितरण समिति, जवाई बॉध) को पालनार्थ क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.10.2019 को अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र अधीशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर तथा उपखण्ड अधिकारी आहोर को सम्बोधित पत्र, कार्यालय हाजा में प्राप्त नहीं होने तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2019 प्राप्ति दिनांक 26.11.2019 के संलग्न राज0 उच्च न्यायालय के उक्त एसबी सिविल रिट संख्या 13991/2016

की प्रति प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर से जरिये 1051 दिनांक 27.11.2019 द्वारा अधीशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर को अभ्यावेदन के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। उक्त प्रकार की सिंचाई कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण में पालना सम्बन्धित विभागों के स्तर पर की जानी है।

6. प्रकरण/परिवाद में कार्यालय की सामान्य शाखा के द्वारा की गई कार्यवाही एवं मय टिप्पणी अनुसार उनकी प्रतियां उपलब्ध समयावधि में परिवादी को जरिये पत्रांक सुनवाई अधिकार/ 04/2020/80 दिनांक 9.10.2019 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अवगत करा दिया था।

7. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील, पूर्व में प्रस्तुत परिवाद एवं लोक सुनवाई अधिकारी की टिप्पणी का अध्ययन एवं परिवाद की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह दृष्टिगत होता है कि अपीलान्ट/परिवादी के द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार यानि उनके प्रस्तुत परिवाद एवं उसके संलग्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या 13991/2016 निर्णय दिनांक 30.10.2019 की पालना कराये जाने के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, जल वितरण समिति, जवाई बॉध को पालनार्थ क्रियान्वयन के लिये एवं पीडित किसान संघ ग्राम बिठूडा को वर्ष 2017—18 में सिंचाई पानी से वंचित रहे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय हाजा के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सक्षम कार्यालय यानि अधीशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के स्तर की होने के कारण कार्यालय से की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना परिवादी को जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक सुनवाई अधिकार/04/2020/ 80 दिनांक 9.10.2020 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर मनन करने के उपरान्त हमारे मत में अपीलान्ट/परिवादी के द्वारा अपील के माध्यम से चाहा गया अनुतोष/कार्यवाही से उन्हें जरिये पत्रांक 80 दिनांक 9.10.2020 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। ऐसे में उनकी अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपील उपरोक्तानुसार निर्णित होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक जनवरी, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को प्रेषित की जावें।

¼Mk0 jkts'k 'kek½
fMohtuy dfe'uj]
tks/kiqj